न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–99/2013 वाद पत्र

उनवान

1–बालू आत्मज छोगा जाट निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–प्यारचन्द आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–शंकरलाल आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–बालुलाल आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–नारायण लाल आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जाकिर मोहम्मद — **अधिवक्ता वादी**
2. हरिश टेलर — **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 26.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट पालरा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पालरा पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी के खातेदारी एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 783 रकबा 0.17 है0 भुमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 330 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। उक्त कृषि आराजी पर वादी वक्त आवंटन से काबिज चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी वादी अपनी उक्त कृषि आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त कृषि भुमि पर वादी के मवेशी चरते हैं तथा चारा उगता है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार की आराजी संख्या 706 से सटमा होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी की कृषि भूमि में दखलंदाजी करते रहते है व अनाधिकृत रूप से अपने मवेशी अन्दर घुसा कर वादी के चारा को नुकसाान पहुंचाते हैं व जबरन कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण को वादी द्वारा कई मर्तबा वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश नहीं करने व अपने मवेशी नहीं चराने बाबत् कहा परन्तु प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादी की अनुपस्थिति में मवेशी चरा लेते हैं और नुकशान कारित करते हैं जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दो बार पुलिस थाना रायपुर में रिपोर्ट दी जिस पर उनको पाबंद किया गया फिर भी प्रतिवादीगण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तथा दिनांक 25.09.2013 को प्रतिवादीगण ने वादी को जबरन वादी की कृषि भुमि पर कब्जा करने की धमकी दी। जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतु विवश होना पडा है बिनाय बाद दिनांक 25.09.2013 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार द्वारा वादी की कृषि भूमि में नाजायज दखलंदाजी करने व

नुकशान पहुंचाने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की और से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री हरिश का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे भी नोटिस जारी किये गए जिसमे वादी एंव वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित है जिन्होने राजीनाम पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रस्तुत राजीनामे अनुसार प्रतिवादीगण वादी की आराजी संख्या 783 रकबा 0.17 है0 में किसी प्रकार दखलंदाजी व नुकसान नही करेगे तथा वादी आराजी संख्या 783 में प्रतिवादीगण के आवागमन के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा नही रखेगें व बंद नही करेगा। आराजी संख्या 783 में प्रतिवादीगण का 4 मीटर चौडा रास्ता रहेगा जो खुला रहेगा। प्रतिवादीगण वादी की आराजी संख्या 783 में किसी प्रकार का कब्जा नही करेगें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण न्यायालय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः

आदेश

ग्राम पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रतिवादीगण वादी की आराजी संख्या 783 रकबा 0.17 है0 में किसी प्रकार दखलंदाजी व नुकसान नही करेगे तथा वादी आराजी संख्या 783 में प्रतिवादीगण के आवागमन के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा नही रखेगें व बंद नही करेगा। आराजी संख्या 783 में प्रतिवादीगण का 4 मीटर चौडा रास्ता रहेगा जो खुला रहेगा। प्रतिवादीगण वादी की आराजी संख्या 783 में किसी प्रकार का कब्जा नही किया जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2018 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अंतिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—99/2013 वाद पत्र

उनवान

1—बालू आत्मज छोगा जाट निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—प्यारचन्द आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—शंकरलाल आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—बालुलाल आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—नारायण लाल आत्मज मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रतिवादीगण वादी की आराजी संख्या 783 रकबा 0.17 है0 में किसी प्रकार दखलंदाजी व नुकसान नही करेगे तथा वादी आराजी संख्या 783 में प्रतिवादीगण के आवागमन के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा नही रखेगें व बंद नही करेगा। आराजी संख्या 783 में प्रतिवादीगण का 4 मीटर चौडा रास्ता रहेगा जो खुला रहेगा। प्रतिवादीगण वादी की आराजी संख्या 783 में किसी प्रकार का कब्जा नही किया जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 26/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा